



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092021-229749
CG-DL-E-17092021-229749

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3496]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 2021/भाद्र 26, 1943

No. 3496]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2021/ BHADRA 26, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2021

का.आ. 3808(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, तेलंगाना राज्य के NH63 के दो लेन में पेव्ड शोल्डर के साथ उन्नयन हेतु, NH63 के महाराष्ट्र-तेलंगाना राज्य सीमा से बोधन सेक्शन कि.मी 0.000 से कि.मी 8.380 तक के लिए रेवेन्यू डिविशनल ऑफिसर बोधन, निज़ामबाद डिस्ट्रिक्ट को, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची
तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH63 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	रेवेन्यु डिविशनल ऑफिसर, बोधन	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH63 के कि.मी. 0 से 8.38 तक	तेलंगाना	निज़ामाबाद	बोधन		
						1	सलूरा
						2	नगनपल्ले
						3	सलूरा कैंप

[फा. सं. Lr.No.EE/NH/PERKIT/NH-63/SB Road/LA/2021-22]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2021

S.O. 3808(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule by Revenue Divisional officer Bodhan, Nizamabad district for Km 0.000 to Km 8.380 of Maharashtra-Telangana state border to Bodhan section of NH63, for upgradation to 2 laning with paved shoulders of NH-63 in the State of TELANGANA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH63 in the State of TELANGANA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village						
1	2	3	4	5	6	7						
1	Revenue Divisional officer, Bodhan	0KM To 8.38KM	TELANGANA	NIZAMABAD	Bodhan	<table><tr><td>1</td><td>Saloorā</td></tr><tr><td>2</td><td>Naganpalle</td></tr><tr><td>3</td><td>Saloorā Camp</td></tr></table>	1	Saloorā	2	Naganpalle	3	Saloorā Camp
1	Saloorā											
2	Naganpalle											
3	Saloorā Camp											

[F. No. : Lr.No.EE/NH/PERKIT/NH-63/SB Road/LA/2021-22]

RAJESH GUPTA, Director